स्वदेशी पत्रिका

वर्ष–20, अंक–1, पौष–माघ 2068, जनवरी 2012

सम्पादक
विक्रम उपाध्याय

कार्यालय
धर्मक्षेत्रा, सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग
रामकृष्णपुरम्, नयी
दिल्ली–110022
से प्रकाशित
दूरभाष : 011–26184595
स्वदेशी जागरण समिति की ओर से ईश्वर दास महाजन द्वारा कॉम्पीटेंट बाइन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली–32 से मुद्रित।

रपट

संसद में आमजन की आवाज नहीं उठेगी तो सड़क–चौराहों पर शोर होगा ही। ऐसे आंदोलन ही लोकतंत्र व अराजकता के बीच की दीवार है, ये न रहे तो देश अराजकता के आगोश में होगा।

अनुक्रम

रपट
स्वदेशी के मंत्र से खत्म होगा भ्रष्ट तंत्र /4

कृषि
सिर्फ इच्छा नहीं इच्छाशक्ति चाहिए
– देविन्दर शर्मा /6

दृष्टिकोण
कहाँ से लाएगा केन्द्र अनाज
– डॉ. अश्विनी महाजन /9

सामयिकी
किसानों के देश में किसान की सुनने वाला कोई नहीं
– शेष नारायण सिंह /11

गरीबी
भूख और कुपोषण की काली हांडी
– श्रुति नागवंशी /14

चर्चा
कौन से धन को काला धन कहें?
– वेद प्रताप वैदिक /16

विचार–विमर्श : महंगाई के दौर में जरूरी है बचत करना
– जयंतीलाल भंडारी /18

रोजगार : नए रोजगार क्षेत्रों में बढ़े भागीदारी
– भारत डोगरा /21

पर्यावरण
सुनिए मधुमक्खी का संदेश
– जवाहरलाल कौल /23

जल : पानी पर सोचने का समय
– राजेन्द्र सिंह ठाकुर /25

अर्थव्यवस्था : अहित करने वाले आर्थिक सुधार
– डॉ. भरत झुनझुनवाला /26

राजनीति से : नए नए छल करती वर्तमान सरकार
– बलवीर पुंज /28

प्रतिक्रिया : सबसे बड़ा राजनीतिक छल
– ए. सूर्यप्रकाश /30

समीक्षा : वर्ष 2012 में चुनौतियों भी कम नहीं
– निरकार सिंह /32

लेख : घरेलू महिलाओं का अवमूल्यन क्यों?
– रेणु पुराणिक /34

पाठकनामा/2, आंदोलन/36

पाठकनामा

जरूरी है खाद्य उत्पादन बढ़ना और जनसंख्या नियंत्रण

आज देश में खाद्य उत्पान की दशा काफी चिंताजनक है। कीटनाशकों और यूरिया के अधिक प्रयोग ने स्थिति को काफी गंभीर बना दिया है। जिसका परिणाम यह हुआ कि खाद्य वस्तुओं पर महंगाई ने आम जनता की कमर तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अभी हाल ही में ऑक्सफैम ने यह कहा कि विश्व खाद्य व्यवस्था में सुधार न होने की दशा में 2030 तक मुख्य खाद्य पदार्थों की कीमत दो गुनी होने की संभावना है।

लेकिन जहां तक मैं समझता हूँ कि खाद्य उत्पादन संकट का सबसे बड़ा कारण आज देश में बढ़ती जनसंख्या और इसके साथ–साथ आवासीय समस्या के कारण भूमि का अधिकतर आवासीय कालोनियों में बंटते जाना है और इसके साथ कुछ भूमि औद्योगिक विकास के क्षेत्र में भी अधिगृहीत होती जा रही है। जिसके कारण आज खाद्य उत्पादन की समस्या दिन प्रति दिन गंभीर होती जा रही है। हमें सबसे पहले अपने देश की जनसंख्या पर नियंत्रण करना होगा जो काफी तेजी से बढ़ती जा रही है अगर जनसंख्या नियंत्रण को नहीं रोका गया तो आने वाले दिनों में खाद्य उत्पादन संकट के साथ–साथ महंगाई का भी सामना करना पड़ेगा। अतः भविष्य के लिए अगर कोई काम करना है तो वह है खाद्य उत्पादन बढ़ना और जनसंख्या नियंत्रण करना। – राकेश दास, मीडिया अपार्टमेंट, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश

कब कहे हम सरकारी कर्मचारी भ्रष्ट नहीं

मैं नियमित रूप से स्वदेशी पत्रिका और हर हिन्दी अखबार पढ़ता हूँ। पिछले छह महीने से लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ काफी बढ़चढ़कर भाग ले रहे थे। अन्ना हजारे ने तीन बार भूख हड़ताल भी की और देश की जनता ने भी उनका काफी साथ दिया। परंतु जैसे ही अन्ना का आंदोलन खत्म हुआ तो भी सरकारी कर्मचारियों ने कोई सीख नहीं ली। आज भी आम आदमी देश के भ्रष्टाचारियों से जूझ रहा है। आप कहीं कोई भी काम करने जाइए बस रिश्वत दें तो काम होगा अन्यथा नहीं होगा। मुझे देखकर हैरानगी होती है सरकारी कर्मचारी अन्ना के आंदोलन से कोई सबक भी नहीं सीख सके। आज सरकारी अफसर कहते हैं कि जनता नहीं सुधरती है लेकिन वो अपनी गलतियों को कभी नहीं देखती हैं। आज जनता को सरकारी अस्पतालों में ठीक इलाज मिले, सरकारी स्कूलों में ठीक पढ़ाई हो, पुलिस विभाग हफ्तावसूली को छोड़े, सरकारी राशन की दुकानों का गेहूँ जो आपकी ही पड़ोसी की चक्की वालों पर पहुँच जाता है, जो जनता को नहीं मिलता बल्कि ब्लैक मार्केट में पहुंचता है। अगर यह सब ठीक से जनता को मिले – तो फिर जनता क्यों रिश्वत दें। आज जरूरत है कि सरकारी विभाग सरकारी नौकरी को समाज सेवा मानकर काम करेंगे तो जनता भी गर्व से कह सकेगी कि मेरे देश के सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचारी नहीं है।

– चन्दर मयाल, सुभाष नगर, रुड़की

आवश्यक नहीं कि इस अंक के भीतर प्रस्तुत लेखकों के विचार स्वदेशी पत्रिका के संपादक मंडल के विचारों से मेल खाते हों। पाठकों की जानकारी के लिए उन्हें यहां प्रस्तुत किया जा रहा है।

संपादकीय कार्यालय

"धर्मक्षेत्र" शिव शक्ति मन्दिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

दूरभाष : 011–26184595 • ई–मेल : swadeshipatrika@rediffmail.com

अगर आप घर बैठे स्वदेशी पत्रिका चाहते हैं तो डिमांड ड्राफ्ट, मनीऑर्डर अथवा चेक द्वारा शुल्क *'स्वदेशी पत्रिका'* दिल्ली के नाम भेजने का कष्ट करें।

वार्षिक सदस्यता शुल्क : 100 रुपए

आजीवन सदस्यता शुल्क: 1,000 रुपए

यदि शुल्क भेजने के उपरांत भी आपको पत्रिका समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो तुरंत पत्रिका कार्यालय को सूचित करें।

(ध्यानार्थ : कृपया अपना नाम व पता साफ अक्षरों में लिखें)

उन्होंने कहा

सुने सबकी मगर वोट अपने जमीर की आवाज पर दो। इसके लिए मतदान के समय अपने घर के सबसे छोटे बच्चे का चेहरा और उसके भविष्य को ध्यान में जरूर रखो।

– गोविन्दाचार्य

स्वदेशी आंदोलन राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक है। यह दलीय सीमाओं से ऊपर का आंदोलन है। इसे दलीय परिप्रेक्ष्य में देखना गलत है।

– पी. मुरलीधर राव

भ्रष्टाचार का खात्मा व्यवस्था परिवर्तन से ही संभव है। यह परिवर्तन कालेधन की समस्या को भी जड़ से समाप्त करेगी। स्वदेशी को आत्मसात करके ही व्यवस्था परिवर्तन किया जा सकता है।

– सुश्री उमा भारती

संपादकीय

जन भावनाओं का अपमान है सिंगल ब्रांड में 100 प्रतिशत विदेशी निवेश का निर्णय

सिंगल ब्रांड में 100 प्रतिशत और मल्टी ब्रांड में 51 प्रतिशत विदेशी निवेश के कैबिनेट के निर्णय के संदर्भ में लगभग सभी गैर कांग्रेसी राजनीतिक दलों, श्रमिक एवं किसान संगठनों और सामाजिक संगठनों द्वारा जिस प्रकार जोरदार ढंग से देशभर में विरोध हुआ, उसे हमने हाल ही में देखा है। ऐसे में संसद 10 दिन नहीं चल सकी और सरकार को अपने घोषित निर्णय से पीछे हटने के लिए विवश होना पड़ा।

अब जब संसद सत्र नहीं चल रहा और सरकार ने सिंगल ब्रांड में कैबिनेट के निर्णय को लागू करते हुए 100 प्रतिशत विदेशी निवेश को अनुमति देने वाला आदेश जारी कर दिया है, इसे जन भावनाओं के अपमान के अतिरिक्त कुछ नहीं कहा जा सकता। सरकार द्वारा फरवरी 2006 में सिंगल ब्रांड खुदरा क्षेत्र में 51 प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति दे दी गई थी। यहां यह समझना जरूरी है कि उस निर्णय के कारण देश को कोई लाभ नहीं हुआ बल्कि इलेक्ट्रॉनिक और टेलीकॉम क्षेत्र में विकास के अवसर अवरूद्ध हो गए। हमारा देश जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, सामरिक प्रौद्योगिकी जैसे– मिसाईल इत्यादि, आई.टी. और सॉफ्टवेयर में दुनिया का सिरमौर देश बन चुका है। सिंगल ब्रांड में विदेशी निवेश को अनुमति देने के कारण देश की प्रौद्योगिकी के विकास को धक्का लगा। 2006 के बाद के कालखंड में हमारा देश टेलीकॉम उपकरणों इत्यादि के उत्पादन में पिछड़ा और हमारी निर्भरता विदेशों पर बढ़ गई। विदेशी ब्रांडों से गैर बराबरी की प्रतियोगिता के कारण देश में विदेशी ब्रांडों का प्रादुर्भाव बढ़ा और भारतीय ब्रांड अधिक विकसित नहीं हो सके। सरकार का सिंगल ब्रांड खुदरा क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा को 100 प्रतिशत करना देश के लिए और विशेषतौर पर टेलीकॉम क्षेत्र के लिए एक अहितकारी कदम है।

हमारे अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री ने हाल ही में कहा है कि सकल घरेलू उत्पाद की चालू वर्ष में संवृद्धि दर 7 प्रतिशत तक ही रहेगी। प्रधानमंत्री के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौशिक बसु की बात माने तो इस घटती आर्थिक संवृद्धि के पीछे सरकार द्वारा खुदरा क्षेत्र में विदेशी निवेश को न कर पाना एक मुख्य कारण है। जब भी सरकार विरोधों के चलते इन तथाकथित आर्थिक सुधारों को आगे नहीं बढ़ा पाती तो सारा दोष इनके विरोधियों पर मढ़ने का प्रयास किया जाता है। जब ऐसा नहीं हो पाता तो अर्थव्यवस्था की तमाम समस्याओं के लिये अंतर्राष्ट्रीय हालातों को जिम्मेदार ठहराया जाता है। नई आर्थिक नीति और तथाकथित आर्थिक सुधारों के समर्थकों का लगातार यह कहना रहा है कि इससे आर्थिक संवृद्धि को बढ़ावा मिलेगा और देश के आम लोगों का जीवन स्तर भी इससे सुधरेगा। आर्थिक सुधारों के नाम पर बारम्बार जो नीति सुझाव आते हैं वे विदेशी निवेश से संबंधित होते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि आर्थिक सुधार और विदेशी निवेश जैसे पर्यायवाची बन गये हैं।

ऐसे में देश में घटती आर्थिक संवृद्धि अंतर्राष्ट्रीय परिदृष्य के कारण नहीं बल्कि सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के कारण है। पिछले लगभग कई वर्षों से महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा अपनाए जाने वाले तमाम उपाय निष्प्रभावी साबित हो रहे हैं। पिछली तिमाही में आर्थिक संवृद्धि की दर में होने वाली कमी भविष्य में मुश्किलों की ओर संकेत कर रही है। देश में इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योगों और सेवा क्षेत्र में तेजी से विकास के लिए आर्थिक संवृद्धि की दर को ऊंचा बनाए रखना नितांत आवश्यक है। बढ़ती महंगाई और उसके कारण मजबूरी में बढ़ाई जा रही ब्याज दरें देश के लिए मुश्किलें बढ़ा रही हैं। बहानेबाजी छोड़ते हुए महंगाई पर काबू पाने के लिए कृषि उत्पादों की पूर्ति बढ़ानी होगी और उसके लिए उसे अभी तक की कृषि की अनदेखी को समाप्त करना होगा। इससे गरीबों को सस्ती दरों पर खाद्य पदार्थ तो उपलब्ध होंगे ही, ब्याज दरों को नियंत्रण में रखते हुए आर्थिक संवृद्धि की दर भी बढ़ेगी।

स्वदेशी जुटान : 28–29 दिसम्बर 2011 (काशी)

स्वदेशी के मंत्र से खत्म होगा भ्रष्ट तंत्र

वालमार्ट व विदेशी पूंजी निवेश के जरिए देश को खोखला करने की साजिश की जा रही है। इसके लिए विदेशी की तमाम नजीरें दी जा रही है, जबकि वास्तविकता है कि अमरीकी अर्थव्यवस्था 2020 तक ध्वस्त हो जाएगी।

– राजनाथ सिंह (वरिष्ठ पत्रकार)

स्वदेशी मात्र एक विचार नहीं बल्कि मंत्र है। इसे आत्मसात कर राष्ट्र के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। इससे भ्रष्ट तंत्र टूटेगा तो कालाधन की समस्या भी खत्म होगी। रही बात इसे अपनाने की तो केवल कुछ वस्त्र व आभूषण धारण करना स्वदेश की भावना का प्रतीक नहीं हो सकता। इसके लिए तन के साथ ही मन भी स्वदेशी के रंग में रंगना होगा।

उक्त बात वरिष्ठ पत्रकार राजनाथ सिंह ने स्वदेशी जागरण मंच की ओर से धर्म राय शिक्षा मंडल दुर्गाकुंड में आयोजित दो दिवसीय (28–28 दिसम्बर 2011) स्वदेशी जुटान के उद्घाटन सत्र में कही।

उन्होंने कहा कि देश के प्रति समर्पण का आधार स्वदेशी और इसका अवलंब स्वाभिमान है। इससे ही स्वतंत्रता की भावना विकसित होती है। साथ ही वर्तमान परिवेश पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि हम आर्थिक रूप से परतंत्र होते जा रहे हैं। इससे भ्रष्टाचार, कालाधन व महंगाई जैसी तमाम चुनौतियां बढ़ रही हैं। इसके लिए वर्तमान सरकार की नीतियां जिम्मेदार हैं।

उन्होंने कहा कि वालमार्ट व विदेशी पूंजी निवेश के जरिए देश को खोखला करने की साजिश की जा रही है। इसके लिए विदेशी की तमाम नजीरे दी जा रही है, जबकि वास्तविकता है कि अमरीकी अर्थव्यवस्था 2020 तक ध्वस्त हो जाएगी। साथ ही चीन का पतन भी सन्निकट है।

गोविंदाचार्य ने कहा कि संसद में आमजन की आवाज नहीं उठेगी तो सड़क–चौराहों पर शोर होगा ही। ऐसे

> स्वदेशी सिर्फ एक आंदोलन भर नहीं है बल्कि एक आत्मिक विश्वास, विचार और संकल्प है।
> — सुश्री उमा भारती

> स्वदेशी आंदोलन राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक है। यह दलीय सीमाओं से ऊपर का आंदोलन है। इसे दलीय परिप्रेक्ष्य में देखना गलत है।
> — मुरलीधर राव

आंदोलन ही लोकतंत्र व अराजकता के बीच की दीवार है, ये न रहें तो देश अराजकता के आगोश में होगा।

उन्होंने कहा कि गंभीर राजनीतिक व चुनाव सुधार के अभाव में जन इच्छा सदन में मुखरित नहीं हो पा रही है, यह त्रासदी है। ऐसे में देश में भारत व गरीब परस्त दलीय ताकत की आवश्यकता है। नकार वोट का समर्थन करते हुए कहा कि सरकार ऐसी व्यवस्था दे या न दे जनता ब्लैक बैलेट के जरिए इसका उपयोग अवश्य करे। सुने सबकी मगर वोट अपने जमीर की आवाज पर दो।

इसके लिए मतदान के समय अपने घर के सबसे छोटे बच्चे का चेहरा और उसके भविष्य को ध्यान में जरूर रखो। यह भ्रष्टाचारियों के मुंह पर करारा तमाचा होगा।

सुश्री उमा भारती ने कहा स्वदेशी सिर्फ एक आंदोलन भर नहीं है बल्कि एक आत्मिक विश्वास, विचार और संकल्प है। उन्होंने कहा कि देश स्वदेशी विचारधारा के आधार पर पंच देवताओं जल, जंगल, जमीन, जर और जानवर की रक्षा और संवर्द्धन कर देश को दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बनाया जा सकता है।

श्री मुरलीधर राव ने कहा कि स्वदेशी किसी खास दल का नहीं है बल्कि दलों से अलग देश का आंदोलन है।

उन्होंने कहा स्वदेशी आंदोलन राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक है। यह दलीय सीमाओं से ऊपर का आंदोलन है। इसे दलीय परिप्रेक्ष्य में देखना गलत है। अन्ना हजारे व बाबा रामदेव के साथ जब हम सब संगठित होकर खड़े होंगे, तभी व्यवस्था परिवर्तन होगा।

भोजपुरी फिल्म अभिनेता मनोज तिवारी ने कहा कि आज अन्ना के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से समाज में ईमानदारों की इज्जत बढ़ी है। दलगत भावनाओं को त्याग कर इस मुहिम में जुड़ने से ही देश का कल्याण होगा। साथ ही स्वदेशी की भावना विकसित होगी।

सत्र को संतोष हेगड़े, बृजभूषण, कश्मीरी लाल जी आदि ने संबोधित किया। संचालन योगेश शुक्ला व संजय चतुर्वेदी ने तथा आभार प्रकाश संजय पाठन ने किया।

स्वदेशी जुटान सम्मेलन के अंतिम दिन स्वदेशी को आत्मसात करने के लिए लोगों को जागरूक करने संबंधी प्रस्ताव डॉ. चंद्रमोहन द्वारा पेश किया गया, जिसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया।

सम्मेलन के आयोजन में सहयोग दिव्य सेवा मिशन के आशीष गौतम, शिव नारायण, अभय जी, वीरेन्द्र सिंह, केदार नाथ सिंह, सुधीर मिश्र, रामगोपाल मोहले, मीना चौबे, अशोक चौरसिया, डॉ. उत्तम ओझा, अवधेश सारथी, पार्षद जगदीश त्रिपाठी व अजय सिंह मुन्ना आदि ने किया। ❑

> मतदान के समय अपने घर के सबसे छोटे बच्चे का चेहरा और उसके भविष्य को ध्यान में जरूर रखो। यह भ्रष्टाचारियों के मुंह पर करारा तमाचा होगा। — गोविन्दाचार्य

सिर्फ इच्छा नहीं इच्छाशक्ति चाहिए

जब हरेक गांव अपनी खाद्य जरूरत के मामले में स्थानीय स्तर पर आत्मनिर्भर हो जाएगा, उसके बाद खाद्य सुरक्षा की सरकारी इच्छा काफी हद तक सुगम हो जाएगी। जहां तक शहरों का प्रश्न है तो पीडीएस और सामुदायिक सहयोग से शहरी आबादी को भोजन मुहैया कराना बहुत हद तक संभव है। शहरों में मॉनिटरिंग करना सुगम होने से यहां गड़बड़ियों पर अंकुश रखना ज्यादा आसान होगा। कुल मिलाकर प्रश्न सरकार की मंशा से अधिक उसकी इच्छाशक्ति पर है। कहीं ऐसा न हो कि सार्वजनिक कल्याण के खाते में हजारों करोड़ का व्यय और दर्ज हो जाए तथा भूखे लोग अन्न के इंतजार में तरसते ही रहें।

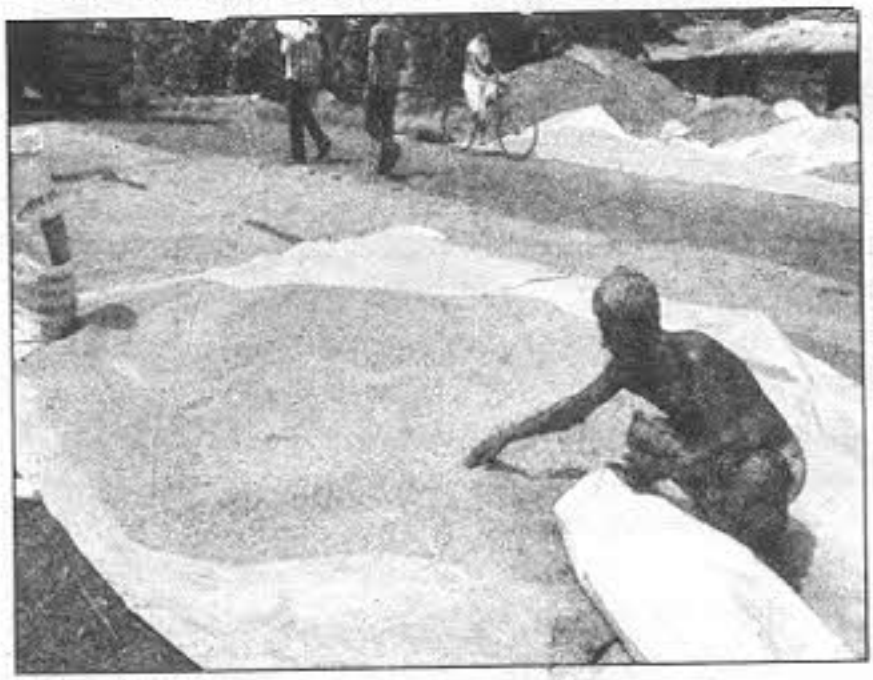

■ देविन्दर शर्मा

लंबे इंतजार के बाद अंततः खाद्य सुरक्षा विधेयक संसद में पेश कर दिया गया। निश्चित रूप से भुखमरी के खिलाफ जंग के लिए यह ऐतिहासिक पहल कही जा सकती है।

खासकर तब, जबकि दुनिया की लगभग सौ करोड़ की भूखी आबादी में भारतीय हिस्सेदारी तकरीबन 32 फीसद तक है। ऐसे उपायों से भारत यदि भुखमरी पर काबू पाने में कामयाब होता है तो इसे वैश्विक स्तर पर भी भोजन के लिए जारी संघर्ष में बड़ी कामयाबी और प्रोत्साहन माना जाएगा।

भारत में भोजन संकट कितना गहन है इसका अनुमान 'ग्लोबल हंगर इंडेक्स–2011' में इसकी निम्न पायदान से हो जाता है। इसके अनुसार भूख के मोर्चे पर 81 देशों की मौजूदगी वाले इस सूचकांक में भारत का स्थान बेहद नीचे 67वां है। यदि बांग्लादेश को छोड़ दें तो भारत की यह रैंकिंग अन्य सभी पड़ोसी देशों के मुकाबले कमतर है, जो कि बेहद शर्मनाक है।

लेकिन महज संसद में पेश खाद्य सुरक्षा बिल के भरोसे ही यदि भारतीयों के भोजन संकट के हल की अपेक्षा की जा रही है, तो इस बाबत नाउम्मीदी की उम्मीद ज्यादा है। कहा जा सकता है कि भोजन के अधिकार को सुनिश्चित करने के नाम पर लाए गए इस चर्चित बिल के दोषपूर्ण प्रावधानों से एक माकूल मौका गवा दिया गया है। इससे भूख तो कम नहीं ही होगी, अलबत्ता भ्रष्टाचार बढ़ेगा तथा हमारी संकटग्रस्त खेती बिल्कुल तबाह हो जाएगी।

मौजूदा सूरतेहाल में तय है कि भोजन के अधिकार के इस प्रयास से अन्न के मामले में आयात निर्भरता खासी बढ़ जाएगी। यह भी प्रतीत होता है कि अपनी लोकलुभावन इमेज को पुख्ता करने की

खाद्य सुरक्षा की यह राह भारत के लिए कतई मुफीद नहीं है। जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत जैसे देश में खाद्य उत्पादन केवल जनता के लिए ही नहीं, बल्कि जनता के द्वारा भी होना चाहिए। भारत की सामाजिक–आर्थिक परिस्थिति में सिर्फ आयातित खाद्यान्न से पेट भरने को ही खाद्य सुरक्षा कहना उचित नहीं है। होना तो यह चाहिए कि भोजन की उत्पादन – आपूर्ति शृंखला ऐसी हो जिससे भूख तो मिटे ही लोगों को रोजगार और बेहतर जीवन भी मिले।

फिलहाल देश की तकरीबन 90 करोड़ आबादी पीडीएस के दायरे में है, परंतु प्रस्तावित कानून में महज 62.5 फीसद यानी लगभग 75 करोड़ आबादी को ही लक्षित किया गया है। यह खाद्य आपूर्ति विधेयक के ढोल का पोल जाहिर करता है। इसके अमलीकरण में अन्न की उपलब्धता भी बड़ा मसला है। बिल के प्रावधानों के अनुरूप इसके लिए सालाना 600 लाख टन अनाज की दरकार है तथा 250 लाख टन अनाज सरकार के बफर स्टॉक के लिए भी चाहिए।

चाह में सरकार महज कम कीमत पर अनाज उपलब्ध कराने को अपना कर्तव्य मान बैठी है, गरीबों के आर्थिक सशक्तीकरण की बात उसके एजेंडे से नदारद है। उसने मनरेगा से भी सबक नहीं सीखा, जो भ्रष्टाचार के आरोपों में तो घिरी ही है, अनुत्पादक काम के बदले मिली मजदूरी ने खेती को भी काफी हद तक इफेक्ट किया है।

हरित क्रांति से पहले खाद्यान्न मामले में आयात निर्भरता के कारण जुमला चर्चित था, 'शिप टू माउथ', मतलब कि जहाजों से आयातित अनाज से ही हमारा पेट भरता था। खाद्य सुरक्षा कानून के अमल के बाद आशंका है कि हालात फिर वैसे ही हो जाएं। इस बिल में उन बाधाओं और खामियों के निदान की अनदेखी की गई है जो अब तक खाद्य सुरक्षा की राह में खलनायक रही हैं।

मसलन, इसमें खाद्यान्न वितरण का जिम्मा उसी पीडीएस पर है जो लगभग 42 सालों से वजूद में होने के बावजूद देश से भूख मिटाने में बुरी तरह नाकामयाब रही है। लंबे वक्त से इसकी खामियों को दुरुस्त करने की सिर्फ बात हो रही है, लेकिन कुछ ठोस नहीं किया गया।

नए बिल में अनाज की कीमतें जरूर कम रखी गई हैं लेकिन इससे गरीबों को राहत मिले न मिले, भ्रष्टाचार को बढ़ावा जरूर मिलेगा। पहले से कम कीमत के रियायती खाद्यान्न कालाबाजारियों को और अधिक ललचाएंगे। एक अन्य तथ्य भी काबिलेगौर है।

खाद्यान्न वितरण का जिम्मा उसी पीडीएस पर है जो लगभग 42 सालों से वजूद में होने के बावजूद देश से भूख मिटाने में बुरी तरह नाकामयाब रही है। लंबे वक्त से इसकी खामियों को दुरुस्त करने की सिर्फ बात हो रही है, लेकिन कुछ ठोस नहीं किया गया। नए बिल में अनाज की कीमतें जरूर कम रखी गई हैं लेकिन इससे गरीबों को राहत मिले न मिले, भ्रष्टाचार को बढ़ावा जरूर मिलेगा।

फिलहाल देश की तकरीबन 90 करोड़ आबादी पीडीएस के दायरे में है, परंतु प्रस्तावित कानून में महज 62.5 फीसद यानी लगभग 75 करोड़ आबादी को ही लक्षित किया गया है। यह खाद्य आपूर्ति विधेयक के ढोल का पोल जाहिर करता है। इसके अमलीकरण में अन्न की उपलब्धता भी बड़ा मसला है। बिल के प्रावधानों के अनुरूप इसके लिए सालाना 600 लाख टन अनाज की दरकार है तथा 250 लाख टन अनाज सरकार के बफर स्टॉक के लिए भी चाहिए।

मतलब कि कुल जरूरत 850 लाख टन की है। कुछ वर्षों पूर्व तक अन्न की सरकारी खरीद 250–300 लाख टन तक होती थी। लेकिन पिछले 5–6 सालों से यह बढ़कर 500–600 लाख टन तक हो गई है। मतलब यह कतई नहीं कि हमारा उत्पादन बढ़ा है बल्कि मेरा मानना है कि इस अवधि में महंगाई बढ़ने से लोगों की

खरीद क्षमता घटी है, जो आकड़ों में वृद्धि के बतौर नजर आती है।

मायने यह कि पहले महंगाई बढ़ाकर गरीबों का भोजन छीना गया, फिर उसी को वापस देकर दरियादिली दिखाई जा रही है। भूख से निजात दिलाने की यह कोशिश हमारे कृषि क्षेत्र के लिए घातक होगी। कारण यह कि अनाज के उत्पादन और जरूरत के बीच की खाई पाटने के लिए सरकार आयात की बात कह रही है। आयात–निर्यात का खेल हमारे हुक्मरानों का हमेशा से पसंदीदा रहा है। लेकिन सस्ता आयात होने से हमारा वह छोटा किसान खेती से बिल्कुल बाहर हो जाएगा जो कि इस क्षेत्र में बहुतायत में है।

आशंका यह भी है कि आयातित अनाज पर हमारी निर्भरता दीर्घावधि में हमारी संप्रभुता को भी खतरे में डाल सकती है। हालांकि कृषि मंत्री शरद पवार ने उत्पादन बढ़ाने के लिए 1.10 लाख करोड़ के निवेश की बात उठाई है लेकिन इसका कितना हिस्सा हमारे परंपरागत कृषि क्षेत्र को मिल सकेगा, कहना मुश्किल है। कारण सरकारी नीतियों का वह रुझान है जो भूमि अधिग्रहण के जरिए कृषि भूमि का रकबा घटाने का इच्छुक है और कृषि सुधारों के नाम पर कांट्रैक्ट खेती और जीएम फसलों का पैरवीकार है।

आशंका यही है कि उक्त राशि का बड़ा हिस्सा 'कॉरपोरेट खेती' की खिदमत में जाएगा। तय है कि खाद्य सुरक्षा की यह राह भारत के कतई मुफीद नहीं है। जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत जैसे देश में खाद्य उत्पादन केवल जनता के लिए ही नहीं, बल्कि जनता के द्वारा भी होना चाहिए। भारत की सामाजिक–आर्थिक परिस्थिति में सिर्फ आयातित खाद्यान्न से पेट भरने को ही

आशंका यह भी है कि आयातित अनाज पर हमारी निर्भरता दीर्घावधि में हमारी संप्रभुता को भी खतरे में डाल सकती है। हालांकि कृषि मंत्री शरद पवार ने उत्पादन बढ़ाने के लिए 1.10 लाख करोड़ के निवेश की बात उठाई है लेकिन इसका कितना हिस्सा हमारे परंपरागत कृषि क्षेत्र को मिल सकेगा, कहना मुश्किल है।

खाद्य सुरक्षा कहना उचित नहीं है। होना तो यह चाहिए कि भोजन की उत्पादन–आपूर्ति श्रृंखला ऐसी हो जिससे भूख तो मिटे ही लोगों को रोजगार और बेहतर जीवन भी मिले।

खाद्य सुरक्षा विधेयक में कुछ सुधार बेहद जरूरी है। वजह तलाशनी जरूरी है कि जब देश के कुछ छह लाख से अधिक गांवों में से पांच लाख गांव अन्न उत्पादक हैं, फिर वहां की स्थानीय आबादी भूखी क्यों है। कारण मौजूदा प्रणाली में निहित है। अभी अन्न की संग्रहण और वितरण प्रक्रिया बेतरह केंद्रीकृत है। लक्ष्य होना चाहिए कि खाद्य सुरक्षा के मामले में गांवों को आत्मनिर्भर बनाया जाए। इसके लिए अधिकांश गांवों में मौजूद पंचायत भवनों को अन्न भंडारों के बतौर उपयोग करना होगा। जब हरेक गांव अपनी खाद्य जरूरत के मामले में स्थानीय स्तर पर आत्मनिर्भर हो जाएगा, उसके बाद खाद्य सुरक्षा की सरकारी इच्छा काफी हद तक सुगम हो जाएगी।

जहां तक शहरों का प्रश्न है तो पीडीएस और सामुदायिक सहयोग से शहरी आबादी को भोजन मुहैया कराना बहुत हद तक संभव है। शहरों में मॉनिटरिंग करना सुगम होने से यहां गड़बड़ियों पर अंकुश रखना ज्यादा आसान होगा। कुल मिलाकर प्रश्न सरकार की मंशा से अधिक उसकी इच्छाशक्ति पर है। कहीं ऐसा न हो कि सार्वजनिक कल्याण के खाते में हजारों करोड़ का व्यय और दर्ज हो जाए तथा भूखे लोग अन्न के इंतजार में तरसते ही रहें। ❑

कहाँ से लाएगा केन्द्र अनाज

राज्यों को इस विधेयक से सबसे बड़ी शिकायत यह है कि यह विधेयक इस संबंध में राजस्व जुटाने के प्रति मौन है। इसलिए बिहार और तमिलनाडु सहित कई राज्यों ने इस विधेयक का सख्त विरोध किया है। केंद्र और राज्य सरकारें इस खाद्य सुरक्षा विधेयक को लागू करने के लिए धन जुटा भी लें तो भी इसके कार्यान्वयन के लिए जितना अनाज जरूरी है, वह सरकार के बूते के बाहर होगा. . .

■ डा. अश्विनी महाजन

भारत में खाद्य सुरक्षा के लिए एक नया कानून प्रस्तावित है। इस नए कानून के जरिये गरीब लोगों को सस्ती दरों पर खाद्यान्न मुहैया कराने का कानूनी प्रावधान होगा। प्रस्तावित कानून के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या के 90 प्रतिशत और शहरी जनसंख्या के 50 प्रतिशत लोगों को इस कानून का लाभार्थी बनाया जाएगा, लेकिन इस बिल के अनुसार कुल जनसंख्या के 75 प्रतिशत को दो भागों में बांटा जाएगा।

एक भाग में प्राथमिकता वाले गृहस्थों को शामिल किया जाएगा, जिन्हें न्यूनतम 7 किलो खाद्यान्न प्रति व्यक्ति बेहद कम कीमत यानी 3 रुपये प्रति किलो गेहूं, चावल 2 रुपये प्रति किलो और बाजरा एक रुपये प्रति किलो की दर से उपलब्ध कराया जाएगा।

दूसरी ओर सामान्य गृहस्थ होंगे, जिन्हें प्रति व्यक्ति 5 किलो खाद्यान्न, न्यूनतम समर्थन मूल्य के 50 प्रतिशत की दर से उपलब्ध कराया जाएगा। इस बिल में प्रस्तावित किया गया है कि ग्रामीण जनसंख्या के 46 प्रतिशत और शहरी जनसंख्या के 28 प्रतिशत को प्राथमिक गृहस्थ के रूप में वर्गीकृत किया जाए और ग्रामीण क्षेत्र की 44 प्रतिशत और शहरी क्षेत्र की 22 प्रतिशत जनसंख्या को सामान्य गृहस्थ के रूप में वर्गीकृत किया जाए।

इसका अभिप्राय यह है कि लगभग 40 प्रतिशत जनसंख्या को 7 किलो अनाज प्रति व्यक्ति 1 रुपये से 3 रुपये की कीमत पर उपलब्ध कराने का प्रावधान होगा और लगभग 35 प्रतिशत जनसंख्या को प्रति व्यक्ति 3 किलो अनाज समर्थन कीमत के आधे पर उपलब्ध होगा।

जब खाद्य सुरक्षा कानून बनाने की बात शुरू हुई थी, तब यह कहा गया था कि देश की 90 प्रतिशत जनसंख्या को इस कानून के दायरे में लाया जाएगा। प्रस्तावित विधेयक में ग्रामीण क्षेत्रों के 46 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों के 28 प्रतिशत जनसंख्या तक सीमित कर दिया गया है।

इसका अभिप्राय यह है कि कुल जनसंख्या का मात्र 40 प्रतिशत ही 3 रुपये

समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि गरीबी के आकलन एवं गरीब की पहचान के बारे में सरकार द्वारा वर्तमान में जो प्रणाली अपनाई जाती है, उसके अनुसार गरीबी के सरकारी अनुमानों एवं गरीबी के वास्तविक आपात में भारी अंतर आ गया है। मापदंड के आधार पर गरीबों की संख्या में भारी अंतर दिखाई देता है।

बिल में प्रस्तावित किया गया है कि ग्रामीण जनसंख्या के 46 प्रतिशत और शहरी जनसंख्या के 28 प्रतिशत को प्राथमिक गृहस्थ के रूप में वर्गीकृत किया जाए और ग्रामीण क्षेत्र की 44 प्रतिशत और शहरी क्षेत्र की 22 प्रतिशत जनसंख्या को सामान्य गृहस्थ के रूप में वर्गीकृत किया जाए।

किलो गेहूं और 2 रुपये किलो चावल का हकदार होगा। ग्रामीण जनसंख्या का 29 प्रतिशत और शहरी जनसंख्या का 22 प्रतिशत वास्तव में किसान को दी जाने वाली कीमत के आधे पर खाने का हकदार होगा।

खाद्य सुरक्षा विधेयक संसद में पेश किया जा चुका है, लेकिन अब भी इस विधेयक के बारे में गरीबी की परिभाषा और गरीब की पहचान के संबंध में कई अनसुलझे सवाल बाकी हैं। हालांकि राष्ट्रीय सलाहकार परिषद ने विधेयक का मसौदा तो तैयार किया है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि सरकार गरीबी की कौन-सी परिभाषा का उपयोग करेगी।

इस संदर्भ में संसदीय समिति ने सुझाव दिया था कि सरकार गरीबी की बहुआयामी एवं विस्तृत अवधारणा ले, ताकि गरीब की पहचान सही ढंग से हो सके। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि गरीबी के आकलन एवं गरीब की पहचान के बारे में सरकार द्वारा वर्तमान में जो प्रणाली अपनाई जाती है, उसके अनुसार गरीबी के सरकारी अनुमानों एवं गरीबी के वास्तविक आपात में भारी अंतर आ गया है। मापदंड के आधार पर गरीबों की संख्या में भारी अंतर दिखाई देता है।

इसलिए समिति ने सुझाव दिया था कि गरीब की पहचान एवं आकलन के लिए अपनाए जा रहे मापदंड को केंद्र, राज्य सरकारें और स्थानीय एजेंसियों के संयुक्त प्रयास द्वारा इस प्रकार से बनाया जाए ताकि गरीबी की सही पहचान हो सके।

हालांकि खाद्य सुरक्षा कानून के कार्यान्वयन के लिए पूरा अनाज केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को उपलब्ध कराया जाएगा, लेकिन राज्यों से यह अपेक्षा रखी गई है कि वे यह सुनिश्चित करेंगे कि अनाज लक्षित लोगों तक पहुंच जाए। इसका मतलब यह है कि वे इसके लिए राज्य, जिला एवं ब्लॉक स्तर पर भंडारण और ट्रांसपोर्ट सुविधाएं अपने खर्च से करेंगे। इस विषय में देरी या कोताही होने पर राज्यों को अपने खजाने से खाद्य सुरक्षा भत्ता देना होगा।

राज्यों को इस विधेयक से सबसे बड़ी शिकायत यह है कि यह विधेयक इस संबंध में राजस्व जुटाने के प्रति मौन है। इसलिए बिहार और तमिलनाडु सहित कई राज्यों ने इस विधेयक का सख्त विरोध किया है। केंद्र और राज्य सरकारें इस खाद्य सुरक्षा विधेयक को लागू करने के लिए धन जुटा भी लें तो भी इसके कार्यान्वयन के लिए जितना अनाज जरूरी है, वह सरकार के बूते के बाहर होगा। हालांकि इस साल अनाज का अच्छा उत्पादन होने से यह काम थोड़ा आसान हो गया है, लेकिन कम उत्पादन होने पर सरकार के लिए खाद्य सुरक्षा कानून को लागू करना टेढ़ी खीर होगा। ❑

खाद्य सुरक्षा विधेयक संसद में पेश किया जा चुका है, लेकिन अब भी इस विधेयक के बारे में गरीबी की परिभाषा और गरीब की पहचान के संबंध में कई अनसुलझे सवाल बाकी हैं। हालांकि राष्ट्रीय सलाहकार परिषद ने विधेयक का मसौदा तो तैयार किया है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि सरकार गरीबी की कौन-सी परिभाषा का उपयोग करेगी।

किसानों के देश में किसान की सुनने वाला कोई नहीं

किसानों की आत्महत्या क्या सचमुच इतना असंवेदनशील विषय है कि हमारी संसद भी लंबे अंतराल के बाद मौन तोड़ती भी है तो सरकार सुनती नहीं और मीडिया सुध नहीं देता। क्या किसानों के इस देश में किसान इस कदर हाशिये पर फेंक दिया गया है कि उसकी दुर्दशा पर ध्यान देनेवाला कोई नहीं है?

■ शेष नारायण सिंह

एक बहस होगी लोकसभा में। बहस के पहले ही पूरी संसद और पूरा देश लोकपाल की बहस पर लटक गया है लेकिन एक बहस हुई राज्यसभा में। पूरे दो दिन। लेकिन न किसी ने जाना और न किसी ने सुना। वे सांसद भी अनमने ही बहस में शामिल हुए जिनकी संजीदगी से बहुत कुछ बदल सकता था।

किसानों की आत्महत्या क्या सचमुच इतना असंवेदनशील विषय है कि हमारी संसद भी लंबे अंतराल के बाद मौन तोड़ती भी है तो सरकार सुनती नहीं और मीडिया सुध नहीं देता। क्या किसानों के इस देश में किसान इस कदर हाशिये पर फेंक दिया गया है कि उसकी दुर्दशा पर ध्यान देनेवाला कोई नहीं है?

किसानों की आत्महत्या देश की राजनीतिक पार्टियों को हमेशा मुश्किल में डालती रहती है। हालांकि मीडिया आमतौर पर किसानों की आत्महत्या की बात करने से बचता है लेकिन कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो इस मामले पर समय समय बहस का माहौल बनाते रहते हैं। देश के कुछ इलाकों में तो हालात बहुत ही बिगड़ गए हैं और लोगों की समझ में नहीं आ रहा है कि समस्या का हल किस तरह से निकाला जाए। हो सकता है कि इन्हीं कारणों से संसद के शीतकालीन सत्र में राज्यसभा ने समय निकाला और किसानों की आत्महत्या से पैदा हुए सवाल पर दो दिन की बहस कर डाली।

बीजेपी के वेंकैया नायडू की नोटिस पर नियम ९७६ के तहत अल्पकालिक चर्चा में बहुत सारे ऐसे मुद्दे सामने आये जिसके बाद कि संसद ने इस विषय पर बात को आगे बढाने का मन बनाया। बहस के दौरान सदस्यों ने मांग की कि इसी विषय पर चर्चा के लिए सदन का एक विशेष सत्र बुलाया जाए। बहस के अंत में इस बात पर सहमति बन गयी कि सदन की एक कमेटी बनायी जाए जो किसानों की आत्महत्या के कारणों पर गंभीर विचार-विमर्श करे और सदन को जल्द से जल्द रिपोर्ट पेश करे।

बाद में लोकसभा में सीपीएम के नेता

किसानों की आत्महत्या देश की राजनीतिक पार्टियों को हमेशा मुश्किल में डालती रहती है। हालांकि मीडिया आमतौर पर किसानों की आत्महत्या की बात करने से बचता है लेकिन कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो इस मामले पर समय-समय बहस का माहौल बनाते रहते हैं। देश के कुछ इलाकों में तो हालात बहुत ही बिगड़ गए हैं और लोगों की समझ में नहीं आ रहा है कि समस्या का हल किस तरह से निकाला जाए।